"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2014—श्रावण 31, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

शुद्धि पत्र

नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2014

क्रमांक एफ 1-01/2014/1-15.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17-06-2014 द्वारा जारी आदेश के कंडिका-3 एवं कंडिका-5 के उप कंडिकाओं के चतुर्थ पंक्ति में टंकण त्रुटिवश नियम-11 के स्थान पर नियम-9 टंकित हो गया है. अत: कंडिका-3 एवं कंडिका-5 के उप कंडिकाओं के चतुर्थ पंक्ति में टंकित "नियम-9" के स्थान पर "नियम-11" पढ़ा जावे.

नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2014

क्रमांक एफ 1-04/2014/1-15.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-04-2014 द्वारा श्री के. सी. किस्कू, भा.व.से. (1985),

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानिटरिंग और मूल्यांकन, छत्तीसगढ़, रायपुर की सेवायें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.), बिलासपुर को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई थी, तत्संबंधी आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-11/2014/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रामप्रकाश, भा.व.से. (1979), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 01-08-2014 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक शीर्षस्थ वेतनमान (Apex Scale Rs. 80,000/- Fixed) में पदोन्नत करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-25/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुंदर राज पी. (भापुसे-2003) पुलिस अधीक्षक, सरगुजा (छ.ग.) को दिनांक 01-08-2014 से 12-08-2014 (12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुंदर राज, आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सरगुजा (छ.ग.) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सुंदर राज, को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुंदर राज पी. (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सुंदर राज पी., पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, सरगुजा का चालू प्रभार श्री डी. आर. आंचला, सेनानी, 10वीं वाहिनी छसबल, सरगुजा को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बायलर क्रमांक-M.P./3198 को दिनांक 31-07-2014 से 30-10-2014 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38(X) एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 के दिशानिर्देश 5 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2 दिनांक 30 सितम्बर, 2010 द्वारा गठित उदन्ती-सीतानदी बाघ संरक्षण फाउंडेशन को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिये शासी निकाय में विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित करती है, अर्थात् :—

एक.	श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक बिन्द्रानवागढ़	—	सदस्य
दो.	श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 4-08-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Raipur, the 4th August 2014

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of Section 38(X) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and guideline 5 of the National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007, the State Government, hereby, nominates the following memeber of the Legislative Assembly in the Governing Body for giving overall policy guidelines and direction to Udanti-Sitanadi Tiger Conservation Foundation constituted by this Department's Notification No. F 8-20-/2007/10-2 dated 30th September 2010, namely :—

I.	Shri Govardhan Singh Manjhi, MLA Bindranawagarh	—	Member
II.	Shri Shravan Markam, MLA Sihawa	—	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 10-8/2014/16.—"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" (केन्द्रीय अधिनियम, 1996 का 27) की धार 40 एवं 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के परामर्श पश्चात्, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप में निम्नलिखित संशोधन करती है. यह संशोधन भूतलक्षीय प्रभाव अर्थात् दिनांक 08 मई 2008 से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

प्रारूप अट्ठाईस
[नियम 272 (1) देखिये]

हितग्राही के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

भाग-1

सामान्य विवरण

कार्य का स्वरूप		कार्य की प्रकृति 1		कार्य की प्रकृति 2		कार्य की प्रकृति 3	
नाम		पिता/पति का नाम		लिंग		वैवाहिक स्थिति	
जन्मतिथि		आयु		जाति		मनरेगा कर्मकार	

पहचान विवरण

किसी भी एक पहचान की प्रविष्टि अनिवार्य है.

राशन कार्ड		वोटर आइडी		आर.एस.बी.वाय.		आधार कार्ड	

बैंका का नाम

शाखा का नाम

खाता क्र.

आई.एफ.एस. कोड

ई.एस.आई.नं.

ई.पी.एफ. नं.

टीप : बैंक का विवरण दिया जाना आवश्यक है.

पता

वर्तमान पता

जिला

विकासखंड/नगर निकाय

ग्रामीण शहरीय

पंचायत

ग्राम/वार्ड

स्थाई पता

जिला

विकासखंड/नगर निकाय

ग्रामीण शहरीय

पंचायत

ग्राम/वार्ड

वर्तमान पता

वर्तमान ही स्थाई पता है.

स्थाई पता

मो. नं.

मो. नं. 2

सुरक्षित करें

हितग्राही का पंजीयन क्र.

भाग-2

नाम	नियोजन का पता	उस स्थापना का विवरण तथा स्थिति जहां आवेदक नियोजित है/था	स्थापना का रजिस्ट्रीकरण क्र.	नियोजन के प्रारंभ तथा समाप्ति की तारीख		उन दिनों की संख्या जिनमें वास्तविक रूप से नियोजन में रहा	टिप्पणी
				प्रारंभ तारीख	समाप्ति तारीख		

नामिनी के नाम

	हितग्राही से संबंध	आयु	लिंग	आधार पत्र क्रमांक	नामांकित	नाम निर्देशिती को भुगतान किए जाने वाले शोध्यों का प्रतिशत	शैक्षणिक योग्यता	कक्षा	शैक्षणिक संस्था का नाम

नामिनी के नाम

सुरक्षित करें

हितग्राही का आवेदन क्र. -

भाग-3

नोट-1) ऑनलाईन पंजीयन के लिए हितग्राहियों के पासपोर्ट साईज फोटो को अपलोड करना अनिवार्य है. अन्यथा हितग्राही पंजीकृत नहीं माना जायेगा अर्थात् हितग्राही योजना का लाभ लेने हेतु योग्य नहीं होगा. (फोटो की साइज 50Kb से कम होना अनिवार्य है.)

2) पहचान पत्र को Pdf में ही अपलोड करें. (पहचान पत्र की साइज 1 Mb से कम होना अनिवार्य है.)

कृपया पहचान पत्र को Pdf में ही लोड करें.

राशन कार्ड | Choose File | No file chosen

वोटर आईडी | Choose File | No file chosen

कृपया फोटो jpg/jpeg में ही अपलोड करें

फोटो | Choose File | No file chosen

कृपया आयु प्रमाण पत्र Pdf में ही अपलोड करें

आयु प्रमाण पत्र | Choose File | No file chosen

कृपया श्रम निरीक्षक/ट्रेड युनियन/नियोजक द्वारा प्रमाणित दस्तावेज Pdf में ही अपलोड करें.

श्रम निरीक्षक/ट्रेड युनियन/नियोजक द्वारा प्रमाणित दस्तावेज | Choose File | No file chosen

कृपया बैंक पासबुक दस्तावेज Pdf में ही अपलोड करें.

पास बुक दस्तावेज | Choose File | No file chosen

JFKDSJK

कृपया डाले

पीछे जाये

सुरक्षित करें

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 अगस्त 2014

क्रमांक/5192/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	मानपुर	बोड़ेगांव प. ह. नं. 20	6.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	औं[illegible] [illegible]शय अंतर्गत मुख्य नहर नाला [illegible] हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है

राजनांदगांव, दिनांक 7 अगस्त 2014

क्रमांक/5193/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	मानपुर	गुड़ारास प. ह. नं. 19	0.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	औंधी जलाशय अंतर्गत माइनर नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 6 जुलाई 2014

क्रमांक 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	धनगांव प.ह.नं. 26	10.76	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्रमांक 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	पेटुलकापा	0.21	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	केवईया एनीकट योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	बावली	0.09	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मर्राकोना एनीकट योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	चातरखार प.ह.नं. 13	3.13	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग मुंगेली.	मुंगेली बायपास मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	कोड़ापुरी प.ह.नं. 18	1.78	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, मुंगेली.	कोड़ापुरी-लाटा-अमोरा मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्रमांक 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	सकेत प.ह.नं. 40	0.10	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	साकेत-मेढ़पार मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	बारगांव	2.06	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बारगांव जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

क्रमांक 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (1) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	बेलखुरी प.ह.नं. 24	1.95	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	कलार जेवरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 जुलाई 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 12/अ-82/2012-13.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-नंदेली, प.ह.नं.-36, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.491 हे. केलो परियोजना अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 23-11-2012 तथा दिनांक 19-04-2013 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.008 हे. भूमि प्रभावित न होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण:—

ग्राम-नंदेली

खसरा नं.		रकबा
13		0.008
कुल खसरा 1	**कुल रकबा**	**0.008**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 24 जून 2014

क्रमांक/420/प्र.क्र. 7/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बेमेतरा

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-चुहका, प.ह.नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
365/1	0.05
365/2	0.08

	(1)	(2)
	363	0.01
	364	0.04
	371	0.01
	365	0.03
	372	0.07
	373	0.05
	368	0.08
	374	0.07
	369	0.04
योग	11	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरबिजा से खम्हरिया मार्ग को चौड़िकरण एवं उन्नयनकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बिरकोनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	161	0.36
	162	0.07
	152	0.20
	157	0.34
योग	4	0.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिरकोनी एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चिरौटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
176/1	0.34
175	0.31
179	0.18

	(1)	(2)
	157	0.04
योग		0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चिरौटी एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 22 जुलाई 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बछेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.72 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	295/1	1.30
	293	0.16
	294	0.38
	273	1.00
	284/1	0.66
	279/1	0.43
	279/2	0.32
	356/4	0.28
	359/1	0.14
	259/2	0.05
योग	10	4.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 22 जुलाई 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-जमकुही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.62 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	242/3	1.62
	242	0.32
	88	0.10
	116	0.46
	117	0.08
	141	0.04
योग	6	2.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 58 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-देवलसुर्रा, प.ह.नं. 32, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	देवलसुर्रा/32	1/2	0.032	0.012
			1/3	0.016	0.016
			3	0.898	0.380
			11	0.615	0.258
			14	0.474	0.186
			25/1	0.097	0.021
			26	0.259	0.105
			28	0.150	0.097
			31/3	0.056	0.048
			31/4	0.146	0.049
			30/1 ख	0.020	0.020
			30/1 ग	0.043	0.025
			36	1.100	0.437
			45	0.073	0.064
			46	0.214	0.040
			47/2	0.045	0.021
			47/3	0.045	0.020
			43	0.725	0.048
			44/1	0.105	0.105

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			44/2	0.113	0.113
			44/3	0.105	0.105
			44/4	0.045	0.045
			10	0.206	0.020
			29	0.368	0.109
			30/2	0.168	0.081
			522/1	0.162	0.081
			524/3	0.190	0.081
			524/4	0.201	0.085
			527/1	0.174	0.085
			544	0.166	0.121
			546	0.210	0.040
			547	0.057	0.057
			545/1	0.016	0.016
			545/2	0.017	0.017
			545/3	0.035	0.035
			545/4	0.034	0.034
			545/5	0.169	0.169
			545/6	0.169	0.169
			545/7	0.100	0.100
			548	0.291	0.291
			549/2	0.210	0.121
			556	0.279	0.080
			557/1	0.108	0.108
			557/2	0.320	0.101
			559/1	0.085	0.202
			559/2	0.069	0.069
			560	0.125	0.080
			561	0.166	0.081
			562/1 क	0.304	0.040
			562/1 ख	0.308	0.206
			562/2	0.384	0.134
			563	0.886	0.321
			565	0.077	0.077
			566/1	0.243	0.061
			566/2	0.162	0.061
			567	0.733	0.040
			594	0.049	0.049
			595	0.049	0.010
			593	0.134	0.081
			591	0.073	0.040
			592/1	0.101	0.055
			592/2	0.101	0.055

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			592/3	0.223	0.055
			582	0.328	0.202
			579/1	0.152	0.117
			579/2	0.152	0.121
			578/2	0.154	0.041
			581/1	0.160	0.040
			521/1क	0.032	0.016
			520/2	0.247	0.045
			505	0.845	0.010
			525	0.012	0.012
			526	0.020	0.020
			596	0.073	0.020
		योग	**74**	**15.473**	**6.577**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 59 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सारांडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम- दर्रीपाली प.ह.नं. 34, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय

की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	दर्रीपाली/34	437	0.150	0.016
			438/1	0.145	0.030
			438/2	0.146	0.034
			439	0.142	0.064
			440	0.320	0.080
			447	0.405	0.016
			448	0.146	0.088
			172	0.121	0.016
			171	0.040	0.016
			170/1	0.081	0.032
			169	0.129	0.004
			168	0.239	0.160
			167	0.304	0.080
			163	0.150	0.150
			161	0.166	0.136
			162	0.024	0.024
			153	0.356	0.160
			150	0.372	0.032
			142	0.723	0.202
			141/1	0.138	0.036
			141/2	0.231	0.204
			129	0.077	0.077
			128	0.081	0.016
			127	0.093	0.032
			124/1	0.332	0.060
			124/2	0.101	0.061
			122	0.093	0.080
			126	0.243	0.240
			125	0.445	0.145
			121/1	0.182	0.005
			121/2	0.113	0.005
			123	0.081	0.004
			160	0.113	0.040
		योग	**33**	**6.182**	**2.345**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 60 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-बासनपाली, प.ह.नं. 34, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बासनपाली/34	17/2 ख	0.121	0.016
			17/2 क	0.324	0.264
			17/1 क	0.300	0.160
			17/1 ख	0.214	0.214
			9	0.121	0.080
			16/3	0.121	0.110
			10/1	0.247	0.016
			10/2	0.089	0.089
			10/3	0.247	0.015
			11/1	0.267	0.267
			11/2	0.263	0.178
			12/4	0.093	0.032
		योग	**12**	**2.407**	**1.441**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 61 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-गुड़ू, प.ह.नं. 35, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गुड़ू/35	47/4	0.494	0.202
			61/1	0.413	0.209
			61/2	0.045	0.021
			62/2	0.049	0.030
			63	0.129	0.040
			65	0.040	0.016
			66	0.166	0.069
			82/2	0.129	0.060
			67	0.109	0.045
			68	0.223	0.080
			69	0.210	0.020
			75	0.202	0.080
			73/1	0.178	0.050
			70/1	0.040	0.010
			78/1	0.154	0.061

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			78/2	0.024	0.008
			80	0.219	0.040
			76/1	0.041	0.041
			76/2	0.040	0.030
			76/3	0.049	0.049
			76/5	0.057	0.012
			77	0.093	0.036
			74	0.109	0.045
			100	0.065	0.028
			137	0.829	0.645
			136	0.202	0.010
			135/1	1.076	0.360
			141/1	0.045	0.025
			141/2	0.045	0.020
			151/1	0.089	0.089
			151/3	0.259	0.202
			159	0.170	0.050
			165/1	0.016	0.016
			167/6	0.162	0.024
			164	0.194	0.077
			166	0.526	0.080
			174	0.121	0.040
			175/1क	0.073	0.010
			175/4	0.142	0.010
			216	0.210	0.085
			231/14ग, 231/18	0.324	0.174
			231/15	0.664	0.174
			231/22	0.308	0.106
			231/23	0.149	0.106
			217/2	0.202	0.134
			219	0.061	0.010
			220/2	0.235	0.200
			220/4	0.219	0.205
			222	0.202	0.057
			206/2	0.202	0.202
			345/3	0.421	0.121
			344/1	0.198	0.198
			344/2	0.255	0.130
			344/3	0.198	0.061
			344/5	0.073	0.020
			344/6	0.255	0.008
			298	0.340	0.283
			299/1	0.202	0.045

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			299/2	0.077	0.045
			299/3	0.101	0.045
			300/2	0.194	0.194
			300/3	0.295	0.160
			302/1	0.518	0.030
			302/3	0.134	0.030
			302/4	0.186	0.121
			340/1	0.295	0.150
			340/3	0.146	0.146
			333/1	0.174	0.160
			333/2	0.227	0.160
			331	0.259	0.020
			332	1.044	0.405
			336/1	1.153	0.060
			324/2	0.223	0.143
			324/5क	0.071	0.071
			323/1, 322/10	0.228	0.140
			323/2	0.301	0.143
			215	0.105	0.010
			218	0.061	0.030
			221/1	0.150	0.101
			221/2	0.105	0.105
			221/3	0.089	0.089
		योग	**82**	**18.081**	**7.817**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 62 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-ओड़ेकेरा, प.ह.नं. 35, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	ओड़ेकेरा/35	3/1	0.190	0.040
			3/3	0.012	0.012
			4/1	0.032	0.032
			6/1	0.053	0.053
			4/2	0.032	0.032
			225	0.704	0.162
			237/1	0.210	0.101
			237/2	0.057	0.057
			238/1क	0.260	0.242
			238/2	0.799	0.242
			239/1	0.089	0.010
			239/2	0.065	0.040
			239/3	0.065	0.065
			219/1	0.158	0.040
			240/1	0.283	0.283
			240/2	0.166	0.166
			240/3	0.049	0.049
			240/4	0.117	0.117
			241/6	0.234	0.080
			242	0.959	0.040
			241/5	0.065	0.040
			245	0.360	0.360
			246	0.526	0.162
			247	0.360	0.202
			226/1	0.105	0.097
			227/1	0.206	0.101
		योग	**26**	**6.156**	**2.825**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम

प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 63 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 35, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली/35	73	0.223	0.040
			75	0.291	0.226
			76	0.154	0.154
			83	0.138	0.138
			84	0.129	0.050
			85	0.202	0.202
			86	0.388	0.121
			87	0.607	0.105
			100	0.401	0.101
			101/1	0.134	0.134
			101/2	0.028	0.028
			102/1	0.097	0.040
			55/1क	0.121	0.121
			55/1ज	0.130	0.110
			55/1च	0.049	0.049

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			55/2	0.656	0.200
			104/1	0.182	0.010
			113/5	0.214	0.100
			113/6	0.283	0.143
			112/1	0.125	0.032
			112/2	0.024	0.024
			112/6	0.024	0.024
			114/1	0.016	0.016
			114/2	0.040	0.040
			114/3	0.016	0.016
			115/1	0.166	0.040
			115/3	0.089	0.089
			115/4	0.073	0.073
			116/1	0.190	0.083
			116/2	0.024	0.024
			116/3	0.053	0.053
			121	0.129	0.129
			122/1	0.170	0.011
			122/2	0.174	0.174
			46	0.547	0.121
			125/1	0.120	0.120
			125/2	0.080	0.080
			125/3	0.100	0.083
			126/1	0.020	0.010
			126/2	0.243	0.180
			126/3	0.134	0.134
			126/5	0.121	0.121
			127/1	0.202	0.135
			127/4	0.202	0.135
			127/7	0.202	0.135
			128	0.364	0.218
			129/2	0.040	0.040
			150/1	0.162	0.120
			150/2	0.809	0.120
			152	0.129	0.080
			160	0.587	0.320
			161/2	0.045	0.045
			139	0.202	0.160
			140/2	0.299	0.260
			141	0.121	0.121
			142	0.121	0.121
			143/1	0.073	0.040
			185/1	0.069	0.069

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			185/2	0.700	0.087
			185/3	0.040	0.020
			184	0.405	0.010
			179/2	0.142	0.142
			179/3ख	0.046	0.046
			179/3ग	0.032	0.032
			179/6	0.142	0.142
			180	0.263	0.263
			181/1	0.065	0.065
			181/2	0.008	0.008
			182	0.291	0.121
			183/1	0.479	0.295
			183/2	0.621	0.081
			176	0.291	0.291
			174/1	0.421	0.040
			174/2	0.150	0.040
			171/1	0.049	0.040
			171/2	0.049	0.040
			171/3	0.089	0.080
			173/4	0.231	0.231
			173/7	0.202	0.089
			172	0.235	0.060
			82	0.186	0.040
			77	0.142	0.012
			144/1	0.056	0.040
			47/2	0.142	0.043
			47/3	0.162	0.043
			147/2	0.413	0.185
			148/1	0.040	0.016
			148/2	0.340	0.071
		योग	**88**	**17.164**	**8.541**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 64 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-केशापाली, प.ह.नं. 34, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	केशापाली/34	1/2	0.405	0.160
			4/1	0.097	0.080
			4/2	0.101	0.080
			4/3	0.162	0.162
			4/4	0.081	0.040
			4/5	0.182	0.131
			4/6	0.134	0.134
			8/4	0.136	0.024
			8/5	0.186	0.186
			21/2	0.202	0.080
			10	0.530	0.160
			11/1	0.061	0.061
			11/3	0.283	0.106
			12	0.506	0.070
			22/2	0.145	0.121
		योग	15	3.211	1.594

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 65 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-गोतमा, प.ह.नं. 37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतदद्वारा छ.ग. भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/37	32/3	0.190	0.160
			38/1	0.251	0.040
			38/2	0.247	0.162
			39/2	0.202	0.056
			65/1	0.510	0.320
			60/1	0.263	0.028
			64	0.283	0.105
			62	0.474	0.121
			63	0.340	0.072
			61	0.454	0.125
			84/947/2	0.073	0.064
			104/84/949	0.478	0.178
			84/948/1	0.178	0.121
			103, 105	0.299	0.121
			102	0.105	0.096
			167	0.360	0.124
			100	0.886	0.121
			334/1	0.194	0.194
			334/2	0.591	0.046
			930/28	0.162	0.150
			930/31	0.304	0.240
			934/1	0.121	0.040
			934/2	0.061	0.040
			933/1	0.079	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			930/33	0.324	0.260
			923/3	0.223	0.089
			914	0.073	0.024
			915	0.109	0.056
			917/1	0.067	0.040
			917/2	0.067	0.020
			920	0.202	0.080
			922/1	0.040	0.024
			922/2	0.090	0.040
			922/3	0.024	0.016
			166	0.125	0.056
			163	0.219	0.215
			162/1	0.125	0.061
			162/2	0.105	0.060
			164/1	0.146	0.060
			164/2	0.340	0.202
			313	0.105	0.080
			312	0.202	0.040
			314/2	0.134	0.072
			314/3	0.121	0.108
			314/4	0.182	0.182
			319/1	0.210	0.093
			319/2	0.077	0.012
			317/2	0.109	0.109
			317/4	0.174	0.051
			318/1	0.134	0.020
			318/2	0.073	0.020
			344	0.020	0.020
			345/1	0.182	0.101
			345/2	0.170	0.170
			345/3	0.162	0.162
			343	0.069	0.069
			341/2	0.409	0.056
			342	0.073	0.050
			337	0.231	0.004
			336	0.425	0.162
			346	1.177	0.050
			347	0.089	0.089
			930/20	0.324	0.160
			932/1	0.129	0.049
			932/2	0.214	0.096
			930/34	0.121	0.080
			930/35	0.162	0.010
			929/3	0.324	0.010
			[illegible]4/1	0.431	0.064

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4/3	0.050	0.050
			3/1	0.380	0.027
			3/2	0.094	0.094
			16/1	0.088	0.024
			16/2	0.088	0.024
			28	0.231	0.080
			29/2	0.087	0.040
			29/3	0.087	0.087
			348/2	0.178	0.010
			2/2	0.283	0.170
			39/1	0.482	0.073
			39/3	0.409	0.162
			921	0.049	0.040
			335	0.206	0.006
			930/29	0.304	0.020
			318/4	0.077	0.030
			318/3	0.073	0.020
			37	0.607	0.182
			15	0.356	0.081
			12/1	0.069	0.069
			161/1	0.130	0.006
			13/3, 13/4	0.271	0.121
		योग	**93**	**20.216**	**7.633**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 66 ब्रो 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-कोतासुरा, प.ह.नं. 37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोतासुरा/37	952	1.552	0.373
			957	0.352	0.275
			956/1	0.105	0.105
			956/2	0.104	0.104
			956/3	0.104	0.104
			958/1	0.332	0.235
			958/2	0.129	0.129
			958/3	0.202	0.121
			955	0.336	0.049
			962/1	0.202	0.044
			962/2	0.231	0.231
			930/3	0.219	0.049
			961/1	0.219	0.099
			961/3	0.255	0.081
			961/5	0.231	0.081
			961/6	0.781	0.099
			961/9	0.289	0.065
			963/1	0.202	0.202
			963/2	0.356	0.079
			963/3	0.016	0.016
			963/4	0.373	0.061
			963/5	0.193	0.079
			963/6	0.475	0.079
			966	0.611	0.040
		योग	**24**	**7.869**	**2.800**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 67 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सिहा, प.ह.नं. 37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सिहा/37	435/1	0.478	0.025
			436	0.251	0.111
			437	0.336	0.010
			433	0.146	0.146
			443	0.178	0.065
			444	0.129	0.004
			445/1	0.044	0.044
			445/2	0.121	0.044
			445/3	0.138	0.138
			446/2 क	0.036	0.020
			446/2 ख	0.036	0.020
			447/2	0.111	0.024
			451/1	1.088	0.059
			451/2	0.053	0.053
			470	0.372	0.222
			469	0.231	0.016
			471	0.214	0.065
			472/1	0.166	0.026
			472/2	0.170	0.030
			473	0.223	0.110
			474	0.085	0.085
			466/1	0.651	0.100
			466/2	0.761	0.120
			466/3	0.406	0.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			464	0.445	0.152
			488	0.231	0.065
			489	0.231	0.065
			491/1	0.648	0.112
			491/2	0.142	0.020
			491/3	0.142	0.109
			491/4	0.032	0.032
			492	0.304	0.024
			496	0.433	0.056
			497/1	0.101	0.032
			497/2	0.324	0.033
			502/2	0.324	0.111
			375/4	0.241	0.024
			375/5	0.040	0.024
			376/2	0.304	0.025
			434	0.522	0.010
			432	0.522	0.040
			431/1	0.202	0.030
			430	0.061	0.004
			372/1	0.061	0.061
			372/2	0.081	0.011
			503	0.417	0.140
			367/1क	0.746	0.142
			367/1ख	0:327	0.135
			367/3	0.607	0.061
			366/1	0.040	0.040
			366/2	0.020	0.009
			366/3	0.061	0.008
			365/1	0.040	0.040
			365/2	0.113	0.049
			350/1	0.105	0.080
			351/1	0.109	0.065
			352/1	0.024	0.024
			353/1	0.028	0.028
			353/2	0.030	0.030
			354	0.121	0.028
			355/1	0.093	0.008
			356/1	0.070	0.070
			356/2	0.024	0.024
			356/3	0.040	0.027
			357/1	0.026	0.026
			357/4	0.046	0.035
			357/2	0.271	0.205
			357/3	0.202	0.101

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			335/1	0.101	0.101
			335/2	0.040	0.040
			335/3	0.285	0.060
			335/4	0.291	0.151
			335/5	0.140	0.140
			368	0.405	0.061
			364/1	0.049	0.024
			364/2	0.048	0.025
			361/1	0.121	0.010
			358/1	0.114	0.032
			369	0.182	0.020
			360/1	0.085	0.073
			336/1	1.390	0.302
			336/2	0.253	0.243
			445/4	0.081	0.050
			445/5	0.044	0.044
			428/1	0.433	0.024
			475/1	0.138	0.016
			475/2	0.405	0.016
			370/1	0.126	0.010
			357/4	0.016	0.016
			335/6	0.186	0.138
			493/2	0.210	0.061
			493/3	0.162	0.101
			349/1	0.069	0.040
			333/5	0.291	0.040
		योग	**94**	**21.039**	**5.900**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 68 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-बोंदा, प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछांये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्‌द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बोंदा/40	1/5	0.162	0.016
			1/4	0.242	0.242
			2/1	0.056	0.032
			2/2	0.061	0.049
			2/3	0.061	0.020
			37	0.267	0.121
			36	0.154	0.048
		योग	**7**	**1.002**	**0.528**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 69 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-बुनगा, प.ह.नं. 40, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बुनगा/40	92/1 ख	0.032	0.032
			94/1	0.053	0.053
			94/2	0.170	0.053
			94/3	0.117	0.053
			94/4	0.036	0.036
			94/5	0.049	0.049
			94/6	0.049	0.049
			95	0.332	0.240
			96/1	0.034	0.034
			96/2	0.142	0.142
			96/3	0.034	0.034
			96/4	0.034	0.034
			96/5	0.034	0.034
			96/6	0.034	0.034
			97	0.785	0.104
			68/7	0.028	0.012
			67/1	0.166	0.129
			67/10	0.101	0.101
			67/7	0.073	0.073
			72	0.809	0.162
			73	1.829	0.648
			64/1	0.081	0.081
			64/2	0.202	0.089
			64/3	0.081	0.024
			60/3	0.227	0.101
			62	0.150	0.101
			60/2	0.194	0.194
			60/1क	0.235	0.160
			57/1	0.210	0.210
			57/2	0.457	0.242
			307	0.202	0.080
			308/3	0.099	0.099
			308/2	0.097	0.097
			306/1	0.222	0.102
			302/1	0.531	0.531
			302/2	0.121	0.121
			301/1	0.142	0.142

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			301/2	0.283	0.150
			318/1	0.045	0.045
			318/2	0.134	0.101
			319/1	0.154	0.154
			319/2	0.216	0.216
			320/2	0.073	0.073
			320/3	0.112	0.040
			360/1	0.231	0.125
			360/2	0.157	0.157
			360/3	0.215	0.040
			360/4	0.328	0.160
			361	0.910	0.202
			362/1	0.351	0.160
			384/1	0.138	0.040
			384/3	0.202	0.081
			352	0.166	0.166
			369/1 ङ	0.101	0.040
			364/1	0.218	0.186
			364/2	0.053	0.053
			384/2	0.309	0.032
			384/4	0.067	0.016
			69/1	0.312	0.045
			69/2	0.170	0.170
			65	0.401	0.090
			71/1	0.121	0.010
			71/2	0.117	0.117
			71/3	0.232	0.040
			70/1138	0.138	0.138
			70/1	0.154	0.040
			70/3	0.506	0.010
			68/2	0.033	0.033
			68/6	0.121	0.121
			67/5	0.065	0.032
			67/3	0.040	0.040
			67/2	0.069	0.069
			320/8	0.112	0.040
			58/1	0.008	0.008
			58/2	0.023	0.023
			385/2	0.202	0.040
			385/4	0.109	0.061
			385/6	0.255	0.080
			382/1ख, 383/1ख	0.172	0.113
			382/1छ, 383/1छ	0.243	0.109
			382/1ठ, 383/1ठ	0.162	0.109
			366/1	0.166	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			366/3	0.202	0.020
			366/4	0.024	0.016
			366/5	0.101	0.016
		योग	**85**	**16.914**	**8.323**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 70 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-रनभांठा, प.ह.नं. 24, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रनभांठा/24	77/1	0.142	0.142
			77/2	0.052	0.052
			77/3	0.057	0.057
			71/1	0.084	0.084
			71/2	0.041	0.041

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			72/2	0.129	0.057
			64	0.053	0.016
			65	0.324	0.121
			70	0.065	0.065
			69	0.113	0.113
			68/1	0.113	0.113
			68/2	0.061	0.061
		योग	**12**	**1.234**	**0.922**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 71 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-टपरदा, प.ह.नं. 24, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	टपरदा/24	1/2	0.603	0.129

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1/3	0.255	0.081
			2	0.339	0.020
			6/1	0.047	0.040
			6/2	0.068	0.040
			6/4	0.174	0.028
		योग	**6**	**1.486**	**0.338**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 72 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-कठली, प.ह.नं. 24, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	**पुसौर**	**कठली/24**	276	0.057	0.057
			277	0.113	0.010
			275/2[illegible]	0.12[illegible]	0.12[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			275/1	0.360	0.121
			275/415/2	0.125	0.125
			275/416	0.077	0.020
			275/417/1	0.040	0.020
			265/1, 266/1	0.358	0.316
			265/2, 266/2	0.496	0.101
			261/1	0.012	0.012
			261/2	0.036	0.016
			261/3	0.012	0.012
			261/4	0.009	0.009
			261/5	0.008	0.008
			261/6	0.008	0.008
			267	0.450	0.048
			262/1	0.015	0.015
			262/2	0.031	0.031
			262/3	0.015	0.015
			222/1	0.061	0.049
			221	0.142	0.101
			220	0.231	0.080
			217	0.190	0.121
			218	0.073	0.073
			219	0.267	0.267
			215	0.219	0.080
			216	0.109	0.010
			214	0.206	0.206
			191	0.174	0.174
			190	0.376	0.344
			213	0.308	0.040
			192	0.121	0.121
			165	0.729	0.121
			168/1	0.223	0.020
			168/2	0.040	0.040
			168/3	0.022	0.016
			147/1	0.146	0.146
			149/3	0.077	0.036
			150/2	0.005	0.005
			150/3	0.005	0.005
			150/4	0.005	0.005
			151/1	0.055	0.055
			151/2	0.055	0.055
			151/3	0.056	0.056
			152/1	0.073	0.049
			152/2	0.154	0.113
			153/1	0.158	0.142
			153/2	0.040	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			153/3	0.101	0.081
			153/4	0.061	0.061
			153/5	0.036	0.036
			153/6	0.057	0.057
			153/7	0.057	0.057
			140	0.793	0.320
			166	0.053	0.053
			233/1	0.150	0.065
			232/1, 233/2	0.109	0.032
			258/1	0.020	0.020
			259	0.057	0.057
			273	0.129	0.057
			256	0.049	0.049
			176/414	0.158	0.056
			154	0.380	0.102
			293/2	0.006	0.006
			263/2	0.040	0.020
			230/1	0.042	0.020
			143	0.704	0.032
			155/2क	0.101	0.015
			148/2	0.101	0.010
			167/2	0.243	0.111
			155/2ख	0.101	0.101
			360	0.036	0.018
		योग	**75**	**10.247**	**5.071**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 73 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सारासिंह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-जेवरीडीह, प.ह.नं. 23, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जेवरीडीह/23	183	0.494	0.300
			184	0.105	0.040
			182	0.676	0.240
			178	0.417	0.170
			178/256	0.571	0.405
			179	0.304	0.020
			177	0.324	0.266
			176/1	0.304	0.085
			176/2	0.097	0.085
			210	0.591	0.004
			174/1	0.109	0.109
			174/2	0.717	0.221
			172/1	0.205	0.101
			172/3	0.085	0.020
			172/5	0.636	0.230
			172/6	0.073	0.073
			172/7	0.263	0.162
			172/8	0.206	0.101
			171/2	0.081	0.025
			171/3	0.304	0.065
			171/4	0.065	0.065
			140	0.081	0.081
			241/262	0.226	0.050
			217/1	0.914	0.050
			139/2	0.299	0.140
			218/1	0.563	0.202
			218/8	0.258	0.129
			218/9	0.049	0.049
			218/10	0.405	0.202
			218/12	0.077	0.030
			218/14	0.021	0.021
			219/1	0.206	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			118/3	0.073	0.004
			118/4	0.089	0.004
			113/1	0.036	0.036
			113/2	0.262	0.121
			113/3क	0.182	0.060
			113/3ग	0.105	0.061
			111/265/1	0.016	0.016
			111/265/2	0.170	0.055
			111/265/3	0.085	0.050
			111/1	0.166	0.060
			111/2	0.162	0.101
			105/2	0.028	0.014
			106/2	0.486	0.226
			106/1/1	0.077	0.038
			106/4/1		0.039
			106/3 क, 106/6 क	0.138	0.010
			106/3ग, 106/6ख	0.121	0.010
			219/6	0.320	0.218
			219/7	0.332	0.218
			219/8	0.263	0.191
			106/3ख	0.348	0.202
			106/7		
		योग	**56**	**13.185**	**5.495**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 74 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-छोटेभंडार, प.ह.नं. 39, तहसील पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छोटेभंडार/39	289/1	0.991	0.162
			289/2	0.117	0.040
			305/1	0.089	0.089
			305/2	0.117	0.117
			305/3	0.202	0.040
			303/1	0.053	0.053
			303/4	0.077	0.077
			302	0.129	0.080
			294	0.275	0.160
			292/1	0.183	0.080
			292/2	0.273	0.080
			297	0.146	0.024
			298/1	0.057	0.057
			298/2	0.117	0.057
			298/3	0.194	0.056
			293/2ख	0.142	0.004
			192/2	0.514	0.136
			192/4	0.105	0.105
			296/2	0.036	0.004
			192/6	0.146	0.073
			192/7	0.158	0.010
			299/1	0.089	0.010
			295/1	0.107	0.004
		योग	**23**	**4.317**	**1.518**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2014

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

रा.प्र. क्रमांक 75 बी 121/2013-14.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडिह, प.ह.नं. 34, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम लारा, प.ह.नं. 40 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-तुपकधार, प.ह.नं. 24, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तुपकधार/24	126/4	0.368	0.233
			126/3	0.372	0.233
			126/2	0.202	0.105
			126/1	0.202	0.156
			127/2	0.231	0.004
			128/2	0.283	0.156
			128/3	0.283	0.202
			128/1	0.170	0.065
			128/4	0.186	0.186
			128/5	0.162	0.024
			130/2	0.255	0.255
			133	0.267	0.267
			107/2	0.287	0.202
			107/3	0.227	0.065
			107/1	0.121	0.121
			102	0.146	0.121
			101	0.263	0.065
			103	0.178	0.057
			108	0.393	0.041
			106/2	0.307	0.024
			124/2	0.032	0.006
			129	0.340	0.006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			134	0.506	0.020
		योग	**23**	**5.781**	**2.614**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाय जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

के. एस. मण्डावी,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 28 जून 2014

क्रमांक 4698/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 7863 तीन-6-7/2000 दिनांक 29-10-2013 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्रीमती नीरू सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जंच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

No. 4698/III-6-7/2000.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. 863/III-6-7/2000, dated 29-10-2013 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoints Smt. Neeru Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (Specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C.G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trail of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Head Quarter of the Court shall be at Raipur.

Bilaspur, the 9th July 2014

No. 472/Confdl./2014/II-1-1/2010.—Hon'ble Shri Justice Sunil Kumar Sinha, has relinquished charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on the afternoon of 03rd July 2014 upon his Lordship's transfer to Sikkim High Court vide notification No. K. 11017/03/2014-US.II dated 30-06-2014 issued by the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice), New Delhi.

Bilaspur, the 10th July 2014

No. 477/Confdl./2014/II-1-3/2014.—Hon'ble Shri Justice Navin Sinha, has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh in the afternoon of 09th July 2014 consequent upon his Lordship's transfer from Patna High Court vide notification No. K. 11017/06/2014-US.II dated 26th June, 2014 issued by the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice), New Delhi.

Bilaspur, the 10th July 2014

No. 481/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rajendra Chandra Singh, Samant, Registrar (I & E) and I/c S. & A. Cell, High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Kabirdham	Kabirdham (Kawardha)	District & Sessions Judge.
2.	Shri Shivmangal Pandely, District & Sessions Judge.	Jagdalpur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	District & Sessions Judge.
3.	Shri Satish Kumar Singh, Judge, Family Court.	Mahasamund	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	District & Sessions Judge.

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.